

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-3/जांच) विभाग

क्रमांक: प.3(1)कार्मिक/क-3/जांच/2004

जयपुर, दिनांक: 20 MAY 2010

अधिसूचना

राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 15 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार द्वारा समस्त जिला कलक्टरों राजस्थान को, अकाल अवधि में अकाल राहत गतिविधियों के संचालन/पर्यवेक्षण में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों के अनुशासनहीनता, आदेशों की अवज्ञा, दुराचरण या गंभीर लापरवाही बरतने की स्थिति में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील), नियम, 1958 के नियम-17 के अधीन लघु शास्तियां अधिरोपित करने के लिए, विशेष रूप से सशक्त करती है।


राज्यपाल के आदेश से,

हृ०

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को:-

- 1 प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल/मुख्य मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, मंत्री/राज्य मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 3 समस्त सचिव/विशिष्ट सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 4 संभागीय आयुक्त, जयपुर/अजमेर/बीकानेर/कोटा/जोधपुर/ उदयपुर / भरतपुर।
- 5 समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर।
- 6 अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को आगामी राजकीय गजट में प्रकाशन हेतु।
- 7 निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 8 महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
- 9 राजकीय अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
- 10 प्रशासनिक सुधार (समन्वय कक्ष) विभाग (सात अतिरिक्त प्रतियां सहित)।
- 11 समस्त विभाग/अनुभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।


शासन उप सचिव

प्रति निम्नांकित को भी प्रेषित है:-

- 1 सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
- 2 सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
- 3 सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 4 पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
- 5 पंजीयक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
- 6 पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
- 7 स्थायी अधिवक्ता, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण राजस्थान, जयपुर।
- 8 रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव